सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP91791809308932X

Signature ....

Acc Name : SHIV KUMAR GOYAL
ACC Code : UP14003404
Sub-Registrar, Noida
Mob.: 9871428774
Lic. No. : 102/2006, Noida, U.P.

e-Stamp

IV-335

Certificate No.	:	IN-UP91791809308932X
Certificate Issued Date	:	17-Jun-2025 01:59 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14003404/ NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14003404811766534655541X
Purchased by	:	V P S VIDYAPEETH TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	V P S VIDYAPEETH TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	V P S VIDYAPEETH TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

MANOJ KUMAR
Advocate
Ch. No.-30, Noida
Gautam Budh Nagar
Reg. No.-

LOCKED
17 JUN 2025
NOIDA

IN-UP91791809308932X

Please write or type below this line

चमनपाल

QE 0028329224

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

न्यास घोषणा पत्र

E-Stamp Certificate No.: IN-UP

यह न्यास घोषणा आज दिनॉक 17 जून 2025, को नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, यू0पी0 में **श्री चमन यादव** (Aadhaar No. xxxx xxxx 5379) पुत्र श्री वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम बहलोलपुर, सैक्टर 63, नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, यू0पी0, जिन्हें यहां के बाद **निवेश न्यासी** के रुप में सम्बोधित किया जायेगा, के द्वारा की गयी।

चमन यादव

जिसमें निवेश न्यासी एक स्थायी **शिक्षार्थ** न्यास बनाने का इच्छुक है। जिसमें निवेश न्यासी ने **न्यास निधि की प्रारम्भिक राशि के रूप में रू 5,51,000/– (रूपये पॉंच लाख इक्यावन हजार मात्र) का अंशदान किया है।** इस न्यास निधि में प्रारंभिक कोषराशि के अतिरिक्त विभिन्न अंशदान, परिवर्धन, संग्रह और उल्लिखित धन में संवृधि और उसके रूपांतरण और उसमें निवेश जो समय समय पर न्यासियों के सुपुर्द की जायेगी या जिन्हें न्यासी दान या अन्य प्रकार से प्राप्त करेंगे या जिन्हें न्यासी इस लेखपत्र के अंतर्गत या कानून के प्रयोग से या अन्यथा, यहां गठित किये गये न्यास के लिए प्राप्त करेंगे या स्वीकार करेंगे, भी निधि का हिस्सा होगी।

गवाहों की उपस्थिति में यह न्यास घोषणा पत्र इस प्रकार हैः–

1.0 न्यास का नामः–

न्यास का नाम **"वी पी एस विद्यापीठ ट्रस्ट"** होगा।

2.0 **न्यास का पंजीकृत कार्यालयः–**

न्यास का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम चोटपुर, परगना व तहसील दादरी, नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू0पी0 201301** में स्थित होगा, जोकि निवेश न्यासी की सम्पत्ति है। जिसे न्यास की जरूरतों को देखते हुए न्यासी परिषद् पारस्परिक सहमति के अनुसार जब और जहां उचित समझा जाए वहां बदला जा सकता है।

3.0 न्यास के उद्देश्य

आवेदन सं०: 202500743052656

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 335 वर्ष: 2025

प्रतिफल- 551000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 5510 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 5590

श्री चमन यादव ,
पुत्र श्री वीरपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम बहलोलपुर सैक्टर 63 नौएडा गौतमबुद्ध नगर यू०पी०

चमन यादव

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 17/06/2025 एवं 03:01:04 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यशवन्त कुमार सिंह
उप निबंधक :नोएडा प्रथम
गौतम बुद्ध नगर
17/06/2025

विवेक शर्मा .
निबंधक लिपिक
17/06/2025

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

3.01 **प्रमुख उद्देश्यः–** निम्नलिखित में से सभी या किसी गतिविधि को मदद देना, सहायता देना, चलाना, संगठित करना, संचालित करना, स्थापित करना, सुगम बनाना और बढ़ावा देना।

1. उपयोगी एवं स्थानिय शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शैक्षणिक अभियानों का संचालन एवं गरीब विद्यार्थीयों की छात्रवृति देकर आर्थिक मद्द करना।
2. पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, संगीत विद्यालय, अध्यन केन्द्र एवं अन्य समाजोपयोगी प्रतिष्ठानों की स्थापना करना।
3. बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उनमें कलात्मक अभिरुची,, नैतिकता एवं भाईचारे की भावना पैदा करना तथा बधुआ बाल मजदूरी को जड से मिटाना एंव तथा उनको शिक्षा मुहैया करवाना।
4. सेमिनार, कार्यशालाओं, ट्रेनिग कार्यक्रमों एवं स्टडी विजिट का आयोजन करना।
5. समाज के सभी वर्गो की बिना भेद–भाव के हित की रक्षा करना, सेवा करना व उनके विकास में सहयोग देना।
6. अन्य संस्थाओं जो समान विचारधारा के हैं, से सहयोग लेना व उन्हें सहयोग देना।
7. अपने क्षेत्र व आसपास के सभी क्षेत्रों में विद्या/शिक्षा को बढ़ावा देना व हर घर तक विद्या/शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करना।
8. नौएडा के सभी प्राथमिक विद्यालयों के उत्थान व बेहतरी के लिए कार्य करना।
9. सभी क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना व उन्हें आवश्यक शिक्षा सम्बंधी सामग्री उपलब्ध कराना जैसे बैग, किताबें, यूनिफार्म इत्यादि।
10. सभी वर्ग के बच्चों को खेल–कूद के लिए बढ़ावा देना व उनके लिए खेल–कूद से सम्बंधित उपकरण/सामान उपलब्ध कराना तथा बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना।
11. पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाकर जागरूक करना, वृक्षारोपण करना, पेड़–पौधों की रक्षा करना।

आवेदन सं०: 202500743052656

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 335 | वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री चमन यादव, पुत्र श्री वीरपाल सिंह

निवासी: ग्राम बहलोलपुर सैक्टर 63 नौएडा गौतमबुद्ध नगर यू०पी०

व्यवसाय: अन्य चमन यादव

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री पुष्पेन्द्र कुमार, पुत्र श्री प्रहलाद सिंह

निवासी: बीएच 105 सैक्टर 70 नौएडा गौतमबुद्ध नगर यू०पी०

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सुरेन्द्र यादव, पुत्र श्री राजेन्द्र यादव

निवासी: ग्राम बहलोलपुर सैक्टर 63 नौएडा यू०पी०

व्यवसाय: अन्य सुरेन्द्र

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यशवन्त कुमार सिंह
उप निबंधक : नोएडा प्रथम
गौतम बुद्ध नगर
17/06/2025

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

विवेक शर्मा .
निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर
17/06/2025

उत्तर प्रदेश

12. पोलिथीन व प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नियंत्रण करना व उसके दूष्परिणामों के बारे में जारुक करना।
13. समाज को स्वास्थ्य रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधित सभी कार्यों से जुड़े रहना व समाज के हित में कार्य करना।
14. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना तथा जरूरतमंद लोगों तक मेडिकल सुविधाएँ पहुंचाना।
15. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैम्प, आँखों की जाँच कैम्प इत्यादि का आयोजन करना तथा जरूरत मंद लोगों तक सुविधाएँ पहुंचाना।
16. समाज के हित के लिए दवाईयाँ एकत्रित करना व असमर्थ व बेसहारा लोगों को उन्हें दान करना।
17. एड्स एवं अन्य घातक बिमारियों से बचाव के लिए जनजागरण, अभियानों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना ।
18. जन-जागरण अभियानों में गति लाने के लिए नुक्कड़ नाटक, थिएटर एवं अन्य प्रचार-प्रसार साधनों का प्रयोग करना।
19. जनसंख्या नियंत्रण संबधित कार्यक्रमों का संचालन करना तथा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरुकता लाना।
20. महिला एंव बाल विकास संबधित कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना तथा महिला को स्वालम्बी बनाना।
21. नारी उत्पीड़न का विरोध करना तथा उसको अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरुक करना।
22. प्रकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय एवं महामारी के समय लोगों की साहयता करना।
23. विक्लांग एवं असहाय व्यक्तियों व बच्चों को प्रोत्साहित करना।
24. जल संरक्षण हेतु लोगों मे चेतना जागृत करना।
25. सांप्रदायिकता क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, भाषा लिंग छुआछूत, उफंच-नीच, मद्यपान बाल विवाह जैसी रुढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जनचेतना विकसित करना।
26. समाजिक कार्यों एवं संस्था के उदेश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार विदेशी दाता संस्थाओं एवं अन्य दाता न्यासा से अधिकतम अनुदान, चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना तथा सरकार से ऋण प्राप्त करना।
27. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पक्षों को लेकर विश्लेषण

करने की समझ बनाना तथा समस्या के विरुद्ध पहल करने हेतु प्रेरित करना।

28. जल जंगल जमीन के प्रकृतिक संबधित आदि विषयो पर सेमिनारों, गोष्ठीयो, कार्यशलाओं, रैलीयो तथा पदयात्राओं का आयोजन करना।

29. सलम ऐरिया, गरीब व जरूरतमंद लोगों तक कपड़े, दवाईयाँ, आदि पहुंचाना, इलाज कराना व उससे संबंधित अभियान चलाना।

30. समय-समय पर उपरोक्त सभी विषयो पर प्रत्र प्रत्रिका का प्रकाशन करना।

31. **न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।**

3.2 <u>अन्य उद्देश्यः-</u>

(क) न्यास की परिसंपत्तियों या उसके किन्हीं भागों को लेकर समय समय पर लाए जाने वाली किराया दरों, करों, मालगुजारी, ड्यूटी और बकायों को सरकार को, या किसी सार्वजनिक/स्थानीय शासन को अदा करना।

(ख) न्यास के निर्माण, रख-रखाव, प्रबंधन और प्रशासन के मद में या कारण होने वाले सभी खर्चों या व्ययों को न्यास की आय में से वहन करना।

(ग) न्यास की परिसंपत्तियों में वृद्धि के लिए कोई भी कानूनी गतिविधि करना।

(ध) न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दान; नगद या वस्तु के रूप में सदस्यता शुल्क, अनुदान उपहार आदि स्वीकार करना और लाभांश, किराए, व्याज और न्यास कोष की अन्य आय आदि को इकट्ठा करना।

(च) न्यास की परिसंपत्तियों को ठोस लाभकारी प्रतिभूतियों और वेंचरों में निवेश करना।

(छ) न्यास के धन को वहां रखने के लिए बैंक में एक या अधिक खाते खोलना और चलाना, और उनका संचालन करना या उनके संचालन के लिए मुख्य न्यासी तथा एक अन्य न्यासी के हस्ताक्षर होगे।

(ज) न्यास के नाम में जमीन, इमारत एवं अन्य अचल व चल संपत्तियों को खरीदना, किराए पर या पट्टे पर लेना।

(झ) न्यास की सामग्री का निवेश, बिक्री, हस्तांतरण या अन्य किसी भी प्रकार, जिसे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासी उचित मानते हों, प्रयोग किया जा सकता है।

(ट) न्यास के उद्देश्यों के लिए रेहन या न्यास संपत्ति के एवज में या उसके किसी हिस्से के एवज में पैसा कर्ज लिया जा सकता है या इकट्ठा किया जा सकता है। यह ऋण जमानत के साथ या बिना, और ऐसी ब्याज दरों और शर्तों पर लिया जाएगा जिन्हें न्यासी उचित समझते हों।

(ठ) किसी अन्य सार्वजनिक या धर्मार्थ संस्था, परियोजना या ऐसी किसी संस्था की शाखा के प्रबंधन को अपने हाथों में लेना। यह हस्तगतकरण ऐसी शर्तों पर ही किया जाएगा जो न्यासियों को स्वीकार्य हों।

(ड) न्यास के सभी या किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टे या किराए या किसी अन्य तरीके से कोई जमीन, इमारत, और कोई भी अन्य चल या अचल संपत्ति और कोई भी स्थान या हित प्राप्त करना।

(त) न्यास के जिस धन की तत्काल आवश्यकता नहीं है उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा के रूप में या राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में आयकर अधिनियम 1961 या समय समय पर प्रभावी अन्य कानूनों के अंतर्गत प्राधिकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना।

चमनयादव

4.00 <u>न्यास और न्यास की संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रणः–</u>
न्यास और न्यास की संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण निवेस न्यासी के अधिकार में रहेगा।

4.01. **श्री चमन यादव** (Aadhaar No. xxxx xxxx 5379) पुत्र श्री वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम बहलोलपुर, सैक्टर 63, नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, यू0पी0, **निवेश न्यासी** अपने पद पर आजीवन रहेंगें।

(ख) निवेश न्यासी न्यास के कोष के विषय में निर्णय लेने की अधिकारी होंगें और न्यासी मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त शक्तियां निवेश न्यासी को प्रयोग में लाने का अधिकार होगा।

(ग) निवेश न्यासी आजीवन या जब तक उससे इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक अपने पद पर बनें रहेंगे।

(ध) मुख्य प्रबंधन निवेश न्यासी के पास ही रहेगा।

(च) निवेश न्यासी अपने जीवनकाल में ही निवेश न्यासी के उत्तराधिकारी को नामांकित करेगा।

(छ) निवेश न्यासी न्यास के क्रियाकलापों पर वृहत्तर निगरानी का अधिकारी होगा और विशेष रुप से उसे बैंक खातों के संचालन, और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्ज पर धन लेने का अधिकार होगा।

(ज) निवेश न्यासी को कार्यकारिणी संचालक मंडल के गठन का पूर्ण अधिकार होगा संचालक कार्यकारिणी के गठन पर किसी अन्य न्यासी का हस्तक्षेप प्रभावी नहीं होगा।

(झ) न्यास के सम्बंधित प्रोजेक्ट के क्रियाकलापों में निवेश न्यासी के पद का उल्लेख निवेश न्यासी के रुप में होगा।

चमनयादव

5.00 **नए न्यासियों की नियुक्तिः–**

यदि और जब इन वर्तमान न्यासियों में से कोई मर जाता है और/या रिटायर होना चाहता है या काम करने से इनकार करता है या कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता है या तत्काल के लिए प्रभावी न्यासियों के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वर्तमान न्यासी में किसी के मरने या रिटायर होने की इच्छा प्रकट करने वाले या काम करने से इनकार करने वाले या काम करने के लिए योग्य ना रह जाने वाले दिवालियापन कानून का लाभ उठा रहे न्यासी या न्यासियों के स्थान पर नया न्यासी चुन लें और ऐसी प्रत्येक नियुक्ति या रिक्त की स्थिति में वर्तमान न्यासियों की संख्या तीन से कम और सात से अधिक नहीं होगी। ध्यान रहे कि ऐसे अतिरिक्त न्यासी या न्यासियों की नियुक्ति के पश्चात न्यासियों की अधिकतम संख्या उपर से अधिक नहीं होगी।

6.00 **न्यासी मंडल की शक्तियांः–**

6.01 न्यास के प्रशासन और प्रबंधन को चलाने के लिए न्यासियों की शक्तियों और कार्यों की सामान्यता को प्रभावित किए बिना न्यासी मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे–

6.02 (क) न्यास के हित में और न्यास के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो न्यास की परिसंपत्तियों की जमानत पर बैंक ओवर ड्राफ्रट, ऋण या किसी भी अन्य रूप में, जिसे भी अनिवार्य समझा जाए, कर्ज लेना। परंतु इनमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे ऋणों पर न्यासियों के बीच सहमति हो और वह अपने निर्णय या अनुबंध की शर्तो से बाध्य हों और ऐसे दस्तावेजों, इकरारनामें या कागजों के क्रियान्वयन के विषय में दो या अधिक न्यासियों को प्राधिकृत किया जाए।

(ख) ऐसी व्यवस्था करना ताकि किसी न्यासी मंडल की तरफ से यदि किसी इकरारनामें, अनुबंध, व्यवस्था, दस्तावेज या किसी अन्य कागज या लेख पर हस्ताक्षर या निर्णय लेने की आवश्यकता आती है तो न्यासी मंडल की तरफ से केवल दो न्यासी ही हस्ताक्षर कर लें। परंतु यह दो न्यासी इस कार्य के लिए न्यासी मंडल द्वारा ही नामांकित किए गए होने चाहिए और न्यासी मंडल को इस व्यवस्था को इसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी बनाना चाहिए मानों संबंधित इकरारनामें, अनुबंध्व्यवस्था या दस्तावेज या कागज या लेख पर सभी न्यासियों ने हस्ताक्षर किए हों।

(ग) न्यासियों और/अन्य व्यक्तियों को लेकर एक उपसमिति की नियुक्ति करना या नियुक्ति की व्यवस्था करना, जो विशेष कार्यभारों या कार्यों या न्यास के क्रियाकलापों में शामिल हो सके या उनकी निगरानी कर सके उन्हें संचालित कर सकें। ऐसी उपसमिति न्यासियों द्वारा स्वीकृत नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करेगी।

(घ) न्यास की किसी संपत्ति या किसी कोष या किसी निवेश को संभालने के लिए किसी एक या अधिक न्यासियों को अधिकृत करना परंतु ऐसा प्राधिकार वर्तमान न्यासियों की शर्तों के संबधीत और न्यासी मंडल द्वारा समय समय पर पारित की गई उचित और स्वीकृत शर्तों और परिस्थितियों नियमों से बंध होगा।

(च) न्यास के सभी या किसी उद्देश्यों को चलाने, बढ़ावा देने और/क्रियान्वित करने के लिए न्यास के वास्ते या उसके नाम पर कोई जमीन खरीदने और/या कोई या अधिक इमारतों के निर्माण के लिए न्यास की आय या निधि के किसी भी भाग को खर्च करना।

6.03 न्यासी, न्यास की संपत्तियों और न्यास के प्रबंधन से संबंधित और उसके लिए होने वाले व्यय के बाद समय समय पर निर्णय ले सकते हैं कि फिलहाल के लिए उपलब्ध न्यास निधि के कोष या आय या संपत्ति को किस विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाना है। व्यक्ति, फर्म कम्पनी, निगम, एसोसिएशन, संस्थान या ऐसे न्यास जिसमें निवेश न्यासी या अन्य न्यासी या उनमें से कोई भी, शामिल है, से नगद या वस्तु के रूप में कोई भी चंदा या अंशदान ले सकते हैं। यह प्राप्तियां ऐसी शर्तो पर ही होंगी जिनहें न्यासी अपने पूर्ण विवेक के अनुसार

पमनपाध्व

उचित मानते हों और जो न्यास के उद्देश्यों के विपरीत न हों। न्यासी जिन्हें संगत मानते हों ऐसी शर्तों पर अन्य धर्मार्थ या सार्वजनिक संस्थानों का प्रबंधन और संचालन भी अपने हाथों में ले सकते हैं।

7.00 **न्यास के किसी भी पदाधिकारी को कोई वेतन नहीं दिया जायेगा। न्यास के सभी पदाधिकारी अपनी स्वेच्छा से न्यास की सेवा करेंगें।**

7.01 न्यास का वित्तवर्ष प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा, परंतु यदि न्यासी मंडल उचित और संगत समझे तो उसे इसे सयम समय पर बदलने का अधिकार होगा। न्यासी मंडल के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इस आलेख की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों और कठिनाई संदेह या विवाद के मामलों और न्यास के क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रबंधन तथा यहां उल्लेखित शक्तियों के विषय में या उनके कारण उठने वाले सभी प्रश्नों को हल करें।

7.02 **नियम / उपनियम बनाने की शक्तियां:-**

न्यास और परिसंपत्तियों के प्रबंधन और न्यास के नियमों और संचालन को सुगम बनाने के लिए न्यासी जैसा उचित समझें उस अनुसार इस आलेख के स्पष्ट प्रावधनों के अनुरूप समय समय पर विभिन्न नियम और उपनियम बना सकते हैं। न्यासी समय समय पर ऐसे नियमों या उपनियमों का उन्मूलन या बदलाव, संशोधन, खंडन या संवृद्धि कर सकते हैं।

7.03 **नियमों में संशोधन की शक्तियां:-**

न्यास की गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन या प्रशासन के लिए या न्यास के उद्देश्यों के क्रियान्वित करने के लिए यदि न्यसियों का ऐसा दृष्टिाकोंण बनता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें नियमों में संशोधन अनिवार्य प्रतीत होता है तो वह पूर्ण सहमति के साथ नियमों में एक या अधिक परिवर्तन कर सकते हैं।

8.00 **निवेशः–**

8.01 **न्यास निधि का निवेशः–**

न्यास निधि के अंतर्गत आने वाला तमाम ऐसा धन जिसे निवेश में इस्तेमाल होना है, न्यास के अथवा किसी भी न्यासी की ओर से निवेश किया जाएगा। यह निवेश आयकर अधिनियम 1961 द्वारा अधिकृत किसी भी जमानत के तहत अथवा समय समय पर लागू होने वाले कानून अथवा अनुसूचित बैंक अथवा भारत के केन्द्रीय प्रांतीय अथवा जिला सहकारी बैंकों में जमा रूप में केवल न्यास के उद्देश्यों के लिए किये जाएंगे।

8.02 न्यासी किसी बैंक या बैंकों में एक खाता या एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। खाते या खातों को चालाने के लिए और ऐसे खाते या खातों के संचालन के विषय में बैकर या बैंकरों को सभी उचित निर्देश देना, और समुचित प्रस्ताव पारित करके ऐसे खाते या खातों को चलाने के लिए न्यासी दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से या स्वंय नियुक्त करेंगे जिसमें से एक मुख्य प्रबंध निदेशक न्यासी अवश्य होगा । बैंक खाता संचालन प्रक्रिया में सहयोगी खाता संचालक की नियुक्ति के लिए मुख्य प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होगा।

8.04 **खाते और ऑडिटः–**

न्यास के पास न्यास निधि के विषय में नियमित चालू व बचत खाते होंगे और उनका किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट कम्पनी द्वारा वाकायदा ऑडिट कराया जाएगा। एकाउंट और ऑडिट रिपोर्टो तथा न्यासियों की रिपोर्टो को एक साल में कम से कम एक बार अवश्य प्रकाशित किया जाएगा।

9.00 **न्यास का विखण्डनः–**

न्यास को भंग कर दिए जाने की स्थिति में न्यास की शेष संपत्तियां ऐसे ही लक्ष्यों और उद्देश्यों पर काम कर रहे किसी अन्य धर्मिक न्यास/संस्थान को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

चमनयादव

10. उक्त ट्रस्ट पर वर्तमान में रु0 5,51,000/– (रूपये पाँच लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि है। इसके अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष में इस ट्रस्ट के नाम कोई चल–अचल सम्पत्ति नही है।

फोटोग्राफ गवाहानः

1.

2.

चमनयादव

उत्तर प्रदेश

न्यासियों ने इस घोषणा को आज दिनांक 17 जून 2025 को नौएडा में निम्न लिखित गवाहों की उपस्थिति में लिखा।

न्यासी

साक्षीगणः

1\.

श्री पुष्पेन्द्र कुमार
पुत्र श्री पहलाद सिंह
निवासी बीएच–105, सैक्टर 70
नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर,
यू0पी0 201301

2\.

श्री सुरेन्द्र यादव
पुत्र श्री राजेन्द्र यादव
निवासी ग्राम बहलोलपुर,
सैक्टर 63, नौएडा, यू0पी0

MANOJ KUMAR
Advocate
Ch. No.-30, Noida
Gautam Budh Nagar
Reg. No.-

आवेदन सं०: 202500743052656

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1842 के पृष्ठ 81 से 110 तक क्रमांक 335 पर
दिनाँक 17/06/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

यशवन्त कुमार सिंह
उप निबंधक : नोएडा प्रथम
गौतम बुद्ध नगर
17/06/2025